राजस्थान विधान सभा

चतुर्थ सत्र

कार्य-सूची

सोमवार, दिनांक 15 मार्च, 2010

बैठक का समय-प्रातः 11.00 बजे

1. प्रश्न

पृथक सूची में प्रविष्ट प्रश्न पूछे जायेंगे एवं उनके उत्तर दिये जायेंगे ।

2. समिति के प्रतिवेदनों का उपस्थापन

श्री शंकरलाल अहारी, सभापति, अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति, 2009-2010 समिति के निम्नांकित प्रतिवेदनों का उपस्थापन करेंगे :-

1- अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति, 2004-2005 के प्रथम प्रतिवेदन (12वीं विधान सभा) में समाविष्ट वन विभाग की सिफारिशों पर राज्य सरकार द्वारा की गई परिपालना से संबंधित अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति, 2009-2010 का प्रथम प्रतिवेदन ;

2- अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति, 2005-2006 के द्वितीय प्रतिवेदन (12वीं विधान सभा) में समाविष्ट जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग की सिफारिशों पर राज्य सरकार द्वारा की गई कार्यवाही पर परिपालना से संबंधित अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति, 2009-2010 का द्वितीय प्रतिवेदन ;

3- अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति, 2006-2007 के प्रथम प्रतिवेदन (12वीं विधान सभा) में समाविष्ट सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की सिफारिशों पर राज्य सरकार द्वारा की गई कार्यवाही पर परिपालनात्मक अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति, 2009-2010 का तृतीय प्रतिवेदन ; एवं

4- अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति, 2006-2007 (12वीं विधान सभा) में समाविष्ट जल संसाधन, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं भू-जल विभाग से संबंधित सिफारिशों पर राज्य सरकार द्वारा की गई कार्यवाही पर परिपालनात्मक अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति, 2009-2010 का चतुर्थ प्रतिवेदन ।

जारी..2..

3. विधायी कार्य

पुर:स्थापित किये जाने वाले विधेयक

(I) राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2010

राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2010
(2010 का विधेयक संख्या-12)

(I) श्री परसादीलाल मीणा, प्रभारी मंत्री निम्नांकित विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे :-
"राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 को और संशोधित करने के लिये विधेयक ।"

(II) प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे ।

(III) प्रभारी मंत्री प्रक्रिया के नियम 63(1) के अन्तर्गत राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अध्यादेश, 2009 (2009 का अध्यादेश संख्या-7) को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखेंगे ।

(II) राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, 2010

राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, 2010
(2010 का विधेयक संख्या-13)

(I) श्री हरजीराम बुरड़क, प्रभारी मंत्री निम्नांकित विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे :-
"विश्वविद्यालय के घटक महाविद्यालयों और साथ ही संबद्ध महाविद्यालयों, संस्थाओं या इकाइयों में पशु चिकित्सा और पशु विज्ञानों और उसके सहबद्ध विज्ञानों की आधुनिक पद्धतियों से समुचित और व्यवस्थित शिक्षण, प्रशिक्षण, अनुसंधान और विस्तार सुनिश्चित करके राजस्थान राज्य में पशु चिकित्सा और पशु विज्ञानों के विकास के प्रयोजनों के लिये एक विश्वविद्यालय स्थापित और निगमित करने और उससे संसक्त और आनुषंगिक विषयों के लिये विधेयक ।"

(II) प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे ।

4. आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2010-2011

प्रथम अवस्था

सामान्य वाद-विवाद एवं राज्य सरकार की ओर से उत्तर

राज्य के आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2010-2011 पर अग्रेत्तर सामान्य वाद-विवाद होगा एवं राज्य सरकार की ओर से उत्तर दिया जाएगा ।

विधान सभा भवन,
जयपुर
दिनांक 12 मार्च, 2010

एच.आर. कुड़ी
सचिव